

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई-33/जोन-कोटा/एफ.09/2025/38

दिनांक 13-02-2025

आदेश

निम्नलिखित कार्मिक के राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्धिकी आयु पूर्ण करने पर नाम के सम्मुख अंकित तिथि पर मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम/पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	प्रथम नियुक्ति दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	श्री ओमप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कापरेन जिला बून्दी	03.02.1965	05.10.1984	28.02.2025

कर्मचारी के विरुद्ध:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधिन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

दिनांक 13.02.2025

क्रमांक : ई-33/जोन-कोटा/एफ.09/2025/38

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी
- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कापरेन जिला बून्दी।
- श्री ओमप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कापरेन जिला बून्दी।
- सर्वर रूम, अराजपत्रित (पैरा.मेडी अनु) को वेबसाईट पर अपलोड वास्तें।
- डीपीसी अनुभाग निदेशालय मुख्यालय।
- निजी/आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

उक्त कार्मिक के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma

Designation: Director  
Date: 2025.02.13 06:34:24 IST  
Reason: Approved

